

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-14 मई, 2025

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजनान्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-18/प.-1/9ख/जमुनापारी बकरी योजना/2025-26, दिनांक-02.05.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-106-अन्य पशुधन विकास-07-जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में ₹0-191.52 लाख (रूपये एक करोड़ इक्यान्नवे लाख बावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि लाख में
04-यात्रा व्यय	1.00
07-मानदेय	1.00
08-कार्यालय व्यय	0.50
09-विद्युत देय	3.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	1.00
13-टेलीफोन पर व्यय	0.50
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	2.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.50
39-औषधि तथा रसायन	1.50
42-अन्य व्यय	2.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	150.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.72
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	25.80
योग-	191.52

(रूपये एक करोड़ इक्यान्नवे लाख बावन हजार मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

-
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (2) धनराशि का कोषागार से आहरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा जब योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित कर सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी।
 - (3) योजनान्तर्गत अनुदान की धनराशि लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। किसी भी दशा में अनुदान का भुगतान नकद नहीं किया जायेगा।
 - (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
 - (5) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।
 - (6) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय।
 - (7) विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
 - (8) जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित किया जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
 - (9) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय 30प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, 30प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
 - (10) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 - (11) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
 - (12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्षः 2403001060700 (जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001060700 जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना	04 यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
2	015	2403001060700 जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना	07 मानदेय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
3	015	2403001060700 जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना	08 कार्यालय व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
4	015	2403001060700 जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना	09 विद्युत देय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
5	015	2403001060700 जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	015	2403001060700 जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
7	015	2403001060700 जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना	13 टेलीफोन पर व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
8	015	2403001060700 जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
9	015	2403001060700 जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
10	015	2403001060700 जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना	39 औषधि तथा रसायन	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
11	015	2403001060700 जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना	42 अन्य व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

12	015	2403001060700 जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
13	015	2403001060700 जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,72,000 (रुपये एक लाख बहतर हजार मात्र)
14	015	2403001060700 जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	25,80,000 (रुपये पच्चीस लाख अस्सी हजार मात्र)
	कुल			1,91,52,000 (रुपये एक करोड़ इक्यानबे लाख बावन हजार मात्र)

महायोग	1,91,52,000 (रुपये एक करोड़ इक्यानबे लाख बावन हजार मात्र)
--------	--

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

प्र०सं०-91/2025/766(1)/सैंतीस-2-2025/001-1(15)/2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
- 3- सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-1/नियोजन अनु०-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।